(51)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

अपील क्र 3115 - I 16

प्रकरण क्रमांक /2016 अपील

प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री किशन लाल आयु–62वर्ष, व्यवसाय–पुजारी मंदिर रामजानकी एवं उससे संलग्न भूमि स्थित ग्राम पैगयाई जिला विदिशा (म.प्र.) निवासी– ग्राम पैगयाई तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.) मो. नं.

----अपीलार्थी

श्री ए. एस. बघेल एड. द्वारा आज दि. 12/09/2016 को प्रस्तुत

12-9-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

A. S. Baghel
12/9/2016

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. बाबूलाल पुत्र बलराम सिंह आयु–39वर्ष, निवासी– हीरापुरा तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.)
3. विजयराम पुत्र भोलाराम आयु–39वर्ष निवासी– पैगयाई तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.)
4. प्यारे लाल पुत्र जवाहर सिंह आयु–79वर्ष, निवासी– ग्राम पैगयाई तहसील शमशाबाद जिला विदिशा
5. मंशाराम पुत्र हरिराम आयु– 39वर्ष, जाति मेना निवासी– ग्राम हीरापुरा तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.)
6. उमराव पुत्र श्री धीरज सिंह आयु–33वर्ष,
7. शेतान सिंह पुत्र हल्काई आयु–43वर्ष,

8. भारत पुत्र नामालुम निवासी– ग्राम हीरापुर तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.)

9. बाबूलाल पुत्र हरलाल आयु– 64वर्ष,

10. दिमान सिंह पुत्र मंशाराम आयु– 58वर्ष

11. धारू सिंह पुत्र मरदान सिंह आयु–58वर्ष, समस्त 6 लगायत 7,9 निवासीगण ग्राम पैगयाई तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.)

12. पदेन तहसीलदार तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.)

----रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 4(5) म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.11.2011 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नटेरन जिला विदिशा म. प्र., प्रकरण क्रमांक 1/बी/113/08–09 जिसके द्वारा मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम पैगयाई तहसील शमशाबाद जिला विदिशा एवं उससे संलग्न भूमि की व्यवस्था व देखरेख एवं सुरक्षा हेतु पब्लिक ट्रस्ट घोषित किया गया और भूमि को उसके अधीन रखा गया। ट्रस्ट का पंजीयन किया गया।

श्रीमान जी,

प्रार्थी/अपीलार्थी/पुजारी मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम पैगयाई एवं उससे संलग्न भूमि के व्यवस्थापक की ओर से अपील अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित संक्षिप्त तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, अपीलार्थी मंदिर श्री रामजानकी स्थित ग्राम पैगयाई तहसील शमशाबाद जिला विदिशा म.प्र. का पुजारी है तथा मंदिर से लगी भूमि खसरा क्रमांक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-3115-I/16

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह अपील म0प्र0लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4(5) के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार मण्डल को नहीं है । पूर्व में यह प्रकरण सुनवाई हेतु त्रुटिपूर्वक ग्राह्यकिया गया है । क्षेत्राधिकारविहीन होने से यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	